पिछड़ा वर्ग के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उत्थान तथा खुशहाल जीवन के लिए स्वरोजगार अपनाएं धन यहां से पाएं

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
कांगड़ा (हि०प्र०)
दूरभाष : 01892–264326, 264334,
फैक्स : 01892–264329

हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम

भारत सरकार की प्रेरणा से प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम का विधिवत गठन 31 जनवरी, 1994 को कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत किया गया है। निगम के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं :–

इस निगम की स्थापना लाभ अर्जित करने के लिए नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक एवं शैक्षणिक तथा आर्थिक उत्थान के लिए की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य उपरोक्त वर्गों और संगठनों को व्यवसायिक जानकारी और आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है, ताकि वह कृषि विकास, पशु–संवर्धन, हाट व्यवस्था विधायन (प्रोसैसिंग) आपूर्ति एवं उत्पाद के भण्डारण, छोटे ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग तथा स्वरोज़गार सम्बन्धी कार्यक्रम चला सकें।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निगम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से ऋण सुविधा प्राप्त की है और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित कार्यों हेतु सस्ती ऋण सुविधा जुटाना प्रारम्भ कर दिया है, जैसे :–

क्र0सं0	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत	आवेदक	सावधिकरण का भाग
क)	लघु व्यापार			
1	बैल्डिंग वर्कशाप	50000	2500	47500
2	मैडिसनशाप	50000	2500	47500
3	मीटशाप	50000	2500	47500
4	स्टेशनरीशाप	50000	2500	47500
5	बुकशाप	50000	2500	47500
6	फुटशाप	50000	2500	47500
7	सब्जी की दुकान या फल की दुकान	50000	2500	47500
8	टेलिविज़न तथा बिजली सामान की रिपेयरशाप	50000	2500	47500
9	करियाना शाप	50000	2500	47500
10	मिठाई की दुकान	50000	2500	47500
11	जूते की दुकान	50000	2500	47500
12	मनियारी की दुकान	50000	2500	47500
13	कपड़े की दुकान	50000	2500	47500
14	टी–स्टाल	50000	2500	47500
15	हैण्डलूम युनिट	50000	2500	47500
16	रेडिमेडशाप	50000	2500	47500
17	टैंट हाऊस	120000	6000	114000
18	टाईपिंग इंस्टिच्यूट	100000	5000	95000
19	केबल, टी0वी0 डिशएंटीना	100000	5000	95000
20	फोटो–कौपियर युनिट	120000	6000	114000
21	होटल रेस्टोरैंट	100000	5000	95000
22	फलोरमिल	50000	2500	47500
23	कारपैंटरी युनिट	50000	2500	47500
24	एस0टी0डी0पी0सी0ओ0	50000	2500	47500
25	ढाबा युनिट	50000	2500	47500
26	बारबरशाप	25000	1250	23750
27	टेलरिंगशाप	50000	2500	47500
28	हेयर कटिंग सैलून ए	50000	2500	47500
29	लेथ वर्कशाप	150000	7500	142500

30	साईबर कैफे	100000	5000	95000
31	स्टील इण्डस्ट्रीज़	100000	5000	95000
32	बैटरी –चार्जिंग युनिट	100000	5000	95000
33	चप्पल तथा फुटवेयर शाप	100000	5000	95000
34	पिकल युनिट	100000	5000	95000
35	रेडिमेड गारमैंटस	100000	5000	95000
36	आटो रिपेयरशाप	50000	2500	47500
37	शीटमैटल वर्कशाप	50000	2500	47500
ख) एग्रीकल्चर तथा ऐलाइड				
38	मधुमक्खी पालन–25 हाईबस	40000	2000	38000
39	मधुमक्खी पालन–50 हाईबस	87000	4350	82650
40	मधुमक्खी पालन–75 हाईबस	123000	6150	116850
41	डेयरी फार्मिंग 3 पशु	40000	2000	38000
42	ट्रैक्टर ट्राली युनिट	292000	14600	277400
43	पैक एनिमल 2 खच्चरें	35000	1750	33250
ग) ट्रांसपोर्ट सैक्टर :				
44	आटो रिक्शा पैट्रोल	82000	4100	77900
45	टाटा 709	479000	23950	455050
46	टाटा 407	413000	20650	392350
47	टाटा सूमो टैक्सी	426000	21300	404700
48	मारूती वैन टैक्सी	243000	12150	230850
49	जीप टैक्सी	410000	20500	389500
50	जीप गुडस कैरियर	388000	19400	368600
घ) सर्विस सैक्टर :				
51	शटरिंग युनिट	190000	9500	180500
52	औटो मोबाइल वर्कशाप	230000	11500	218500
ङ) स्वर्णिमा स्कीम				
53	डैरी युनिट	28000	–	28000
54	लघु व्यापार	50000	–	50000

ऋण प्राप्ति के लिए पात्रता की शर्तें :–

1. ऋण लेने वाला हिमाचल प्रदेश का रहने वाला होना चाहिए।
2. वह हिमाचल प्रदेश की किसी अधिसूचित पिछड़ी जाति/वर्ग से सम्बद्ध हो।
3. उसकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. वह किसी बैंक या किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था का ऋणी –दोषी न हो।
5. उसकी समस्त साधनों से प्राप्त पारिवारिक आय ग्रामीण क्षेत्र में मु0. 40,000/– रुपये तथा शहरी क्षेत्र में मु.55,000/– रुपये से नीचे होनी चाहिए।
6. ट्रान्सपोर्ट सैक्टर में ड्राईविंग लाईसैंस का होना अनिवार्य होगा।

ऋण के प्रारूप :

निगम निम्नलिखित प्रकार के ऋण प्रदान कर सकता है –

क) सावधी ऋण :

प्रति लाभार्थी को अधिकतम 5 लाख रुपये तक सावधी ऋण दिया जा सकता है, परन्तु ऋण परियोजना का कुल लागत का 95 प्रतिशत से अधिक नहीं दिया जाएगा, चूंकि लाभार्थी को कम से कम 5 प्रतिशत धन अपने स्त्रोतों से लगाना होगा। अधिक से अधिक लोगों को ऋण सुविधा देने हेतु 75 प्रतिशत राशि का उपयोग एक लाख तक की परियोजनाओं के लिए चिन्हित होगा।

स्वीकृत सावधी ऋण पर ब्याज : = वार्षिक ब्याज़ की दर 6 प्रतिशत होगी।

ऋण की अदायगी की अवधि : = ब्याज़ सहित ऋण की पूरी अदायगी 5 वर्ष की अवधि में करनी होगी।

स्वर्णिमा :

इस योजना का उद्देश्य पिछड़े वर्ग, आई.आर.डी.पी. की पात्र महिलाओं में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करना है। इसके अर्न्तगत ऋण लेने वाली महिलाओं को विशेष रियायतें दी जाती हैं, जैसे :–

1) ब्याज़ की दर सामान्य योजनाओं की तुलना में 2 प्रतिशत कम रखी गई है।
2) प्रार्थी की समस्त साधनों से प्राप्त पारिवारिक आय मु. 19,999/– रुपये से अधिक न हो।

ब्याज़ मुक्त अध्ययन ऋण योजना :

इस योजना के अर्न्तगत ऐसे छात्र एवं छात्राओं जिनकी पारिवारिक आय मु. 36,000/रुपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। निम्न पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु मु. 10,000/रुपये प्रतिवर्ष, पूर्ण पाठयक्रम हेतु अधिकतम मु. 50,000/– रुपये तक ब्याज़–मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

1 पी.एच.डी.
2 एम.बी.बी.एस.
3 मास्टर आफ कम्पयूटर ऐप्लीकेशन
4 एल.एल.बी.
5 जे.बी.टी.
6 बी.एड.
7 इंजीनियरिंग आर्किटक्चर में स्नातक कोर्स
8 एक वर्षीय होटल मैनेज़मैंट कोर्स
9 आयुर्वैदिक में स्नातक कोर्स
10 तीन वर्षीय नर्सिंग डिप्लोमा
11 अन्य व्यवसायिक कोर्स

विकास गतिविधियां :

ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त निगम उन लाभार्थियों को ट्रेनिंग दिलाने का भी प्रबन्ध करेगा जो एक मास तक की ट्रेनिंग प्राप्त करके कोई व्यवसाय आरम्भ करना चाहते हों। इसके अतिरिक्त पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी जो तकनीकी शिक्षा हेतु सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, नई दिल्ली के आधीन चल रही समृद्धि व आकांक्षा स्कीम के अधीन अनुदान ऋण प्राप्त करने में भी सहयोग कर सकता है।

प्रबन्ध निदेशक
हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
पी.डब्ल्यू.डी. रेस्ट हाऊस रोड़, कांगड़ा (हि0प्र0)
दूरभाष सं0 264326, 264334